सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 65

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		2261.30	287.87	2549.17	2534.00	300.49	2834.49	2294.00	301.45	2595.45	2752.00	319.86	3071.86
पूंजी		***3.20***	*0.30*	*3.50*	*166.00*	*0.80*	*166.80*	*163.00*	*0.80*	*163.80*	*83.00*	*0.80*	*83.80*
जोड़		**2264.50**	**288.17**	**2552.67**	**2700.00**	**301.29**	**3001.29**	**2457.00**	**302.25**	**2759.25**	**2835.00**	**320.66**	**3155.66**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	6.76	6.76	...	6.95	6.95	...	7.28	7.28	...	7.65	7.65
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग(एमएसएमई)													
2. ऋण सहायता कार्यक्रम	2851	221.51	...	221.51	19.70	...	19.70	19.70	...	19.70	7.00	...	7.00
3. गुणवत्ता प्रौद्योगिकी सहायता संस्था तथा कार्यक्रम	2851	331.76	...	331.76	471.80	...	471.80	400.00	...	400.00	468.00	...	468.00
4. अन्य स्कीमें	2851	55.53	...	55.53	72.32	...	72.32	72.32	...	72.32	65.60	...	65.60
5. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2851	54.80	...	54.80	79.50	...	79.50	79.50	...	79.50	105.90	...	105.90
6. राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	2851	1.56	...	1.56	12.98	...	12.98	4.00	...	4.00	2.70	...	2.70
7. विकास आयुक्त (एमएसएमई)	2851	...	16.75	16.75	...	17.67	17.67	...	16.73	16.73	...	17.90	17.90
8. संवर्धनात्मक सेवा संस्थाए और कार्यक्रम	2851	45.53	73.83	119.36	46.70	78.12	124.82	46.70	77.24	123.94	46.35	82.77	129.12
9. एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम और एमएसएमई वृद्धि ध्रुव	2851	32.18	...	32.18	72.00	...	72.00	40.00	...	40.00	111.00	...	111.00
10. विपणन विकास सहायता कार्यक्रम	2851	5.20	...	5.20	8.40	...	8.40	6.00	...	6.00	26.00	...	26.00
11. डाटाबेस को अद्यतन करना	2851	0.82	...	0.82	5.39	...	5.39	5.39	...	5.39	40.50	...	40.50
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7.00	...	7.00
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
	जोड़	*0.82*	...	*0.82*	*5.39*	...	*5.39*	*5.39*	...	*5.39*	*48.00*	...	*48.00*
12. लघु उद्योगों की सांख्यिकी का संग्रहण	3601	16.01	...	16.01	10.16	...	10.16	10.16	...	10.16	...	...	...
	3602	0.30	...	0.30	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	...	...	...
	जोड़	*16.31*	...	*16.31*	*10.51*	...	*10.51*	*10.51*	...	*10.51*	...	...	...
13. कार्यालय आवास का निर्माण-ग्राम और लघु उद्योग	4059	2.20	...	2.20	8.00	...	8.00	5.00	...	5.00	8.00	...	8.00
14. एमएसएमई के लिए विशेष योजना	2851	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
15. ऋण एवं वित्त योजनाएं													
15.01 निधियों की निधि	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.70	...	0.70

(करोड़ रुपए)

		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
15.02	उद्यम पूंजी निधि	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.70	...	0.70
15.03	आहत सेवा के लिए सहायता	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.70	...	0.70
15.04	एसएमई एक्सचेंज सहायता योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.70	...	0.70
	जोड़- ऋण एवं वित्त योजनाएं		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*2.80*	...	*2.80*
16.	*विपणन और अधिप्राप्ति योजना*													
16.01	सूलमउ के लिए विपणन अवसंरचना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.70	...	0.70
16.02	क्लस्टरों में विपणन संगठन	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.70	...	0.70
16.03	सूलमउ के लिए वैश्विक फुटप्रिंट समर्थकारी बनाना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.70	...	0.70
	जोड़- विपणन और अधिप्राप्ति योजना		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*2.10*	...	*2.10*
17.	कौशल विकास- वास्तविक एसएमई विश्वविद्यालय	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.70	...	0.70
18.	*सांस्थानिक संरचना तथा सुधार योजना*													
18.01	उद्यमी ज्ञापन को ऑनलाइन दायर करना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.70	...	0.70
18.02	डीसी, एमएसएमई कार्यालयों की पुन: - अभियांत्रिकी और सुदृढ़ीकरण	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.70	...	0.70
	जोड़- सांस्थानिक संरचना तथा सुधार योजना		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1.40*	...	*1.40*
19.	राष्ट्रीय नवाचार निधि	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	90.00	...	90.00
जोड़-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग(एमएसएमई)			**767.40**	**90.58**	**857.98**	**808.30**	**95.79**	**904.09**	**690.12**	**93.97**	**784.09**	**986.55**	**100.67**	**1087.22**
खादी एवं ग्राम उद्योग														
खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग														
20.	*खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग*													
20.01	खादी उद्योग	2851	437.04	144.28	581.32	206.58	154.91	361.49	168.47	157.36	325.83	108.80	167.72	276.52
20.02	अन्य ग्राम उद्योग	2851	69.05	...	69.05	51.30	...	51.30	54.91	...	54.91	67.92	...	67.92
20.03	खादी कारीगरों के लिए जनश्री बीमा योजना (स्वास्थ्य बीमा के नवीन संघटक समाहित)	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.03	...	0.03
20.04	केवीआई क्षेत्र में अवसंरचना तथा कौशल समूह का विकास	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.03	...	0.03
20.05	वीआई का संवर्धन तथा विद्यमान कमजोर वीआई का विकास (कमजोर VI संस्थानों के पुनरुज्जीवन के लिए नए संघटक सहित)	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.03	...	0.03
20.06	एक बारगी माफी/निपटान द्वारा पुराने ऋणों को बट्टे खाते डालने हेतु योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.03	...	0.03

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
20.07	बाजार संवर्धन (जिसमें निर्यात संवर्धन शामिल है) और प्रचार (विपणन परिसरों/प्लाजाओं के नए संघटक शामिल हें) तथा आशोधित एमडीए	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.03	...	0.03
20.08	खादी और VI (एस एंड टी)और एक अनन्य विरासत और हरित उत्पाद के रुप में खादी संवर्धन हेतु योजना (स्पोक)	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.03	...	0.03
जोड़- खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग			*506.09*	*144.28*	*650.37*	*257.88*	*154.91*	*412.79*	*223.38*	*157.36*	*380.74*	*176.90*	*167.72*	*344.62*
ब्याज सब्सिडियां														
21.	*ब्याज सब्सिडियां*													
21.01	खादी उद्योग	2851	5.00	22.00	27.00	0.01	22.00	22.01	0.01	22.00	22.01	0.10	22.00	22.10
21.02	अन्य ग्रामोद्योग	2851	5.00	5.36	10.36	0.01	5.36	5.37	0.01	5.36	5.37	0.10	5.36	5.46
जोड़- ब्याज सब्सिडियां			*10.00*	*27.36*	*37.36*	*0.02*	*27.36*	*27.38*	*0.02*	*27.36*	*27.38*	*0.20*	*27.36*	*27.56*
22.	खादी और पोलीवस्त्र के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.03	...	0.03
23.	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान	2851	5.85	0.50	6.35	10.00	0.50	10.50	7.00	0.50	7.50	11.00	0.50	11.50
24.	*पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि संबंधी योजना (स्फूर्ति खादी)*													
24.01	स्फूर्ति - केवीआईसी	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.03	...	0.03
24.02	स्फूर्ति	2851	10.80	...	10.80	18.00	...	18.00	0.01	...	0.01	49.89	...	49.89
24.03	खादी कामगारों के लिए वर्कशेड योजना	2851	15.00	...	15.00	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00
24.04	खादी उद्योगों ओर कामगारों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए योजना	2851	15.75	...	15.75	18.90	...	18.90	4.35	...	4.35	13.50	...	13.50
24.05	मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना हेतु सहायता	2851	...	...	...	7.40	...	7.40	3.00	...	3.00	7.42	...	7.42
जोड़- पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि संबंधी योजना (स्फूर्ति खादी)			*41.55*	*...*	*41.55*	*62.30*	*...*	*62.30*	*25.36*	*...*	*25.36*	*88.84*	*...*	*88.84*
25.	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2851	896.32	...	896.32	933.30	...	933.30	1096.18	...	1096.18	1146.10	...	1146.10
26.	खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता)	2851	...	...	...	172.80	...	172.80	0.01	...	0.01	45.00	...	45.00
27.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण	6851	1.00	...	1.00	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
जोड़-खादी एवं ग्राम उद्योग			**1460.81**	**172.14**	**1632.95**	**1436.30**	**183.27**	**1619.57**	**1351.95**	**185.72**	**1537.67**	**1468.07**	**196.08**	**1664.15**
28.	*कॉयर उद्योग*													
28.01	कॉयर बोर्ड	2851	29.80	18.50	48.30	29.80	14.98	44.78	22.00	14.98	36.98	47.50	15.96	63.46

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	6851	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
	जोड़	*29.80*	*18.80*	*48.60*	*29.80*	*15.28*	*45.08*	*22.00*	*15.28*	*37.28*	*47.50*	*16.26*	*63.76*
28.02 कॉयर उद्योगों का आधुनिकीकरण, नवीकरण तथा प्रौद्योगिक उन्नयन	2851	14.03	...	14.03	18.90	...	18.90	10.53	...	10.53	14.40	...	14.40
28.03 पारंपरिक अद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि संबंधी योजना (स्फूर्ति-कॉयर)	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.03	...	0.03
जोड़- कॉयर उद्योग		*43.83*	*18.80*	*62.63*	*48.70*	*15.28*	*63.98*	*32.53*	*15.28*	*47.81*	*61.93*	*16.26*	*78.19*
पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजना /योजनाओं हेतु प्रावधान													
29. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजना /योजनाओं हेतु प्रावधान													
29.01 अन्य योजनाएं	2552	...	...	...	9.50	...	9.50	9.50	...	9.50	10.40	...	10.40
29.02 राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	2552	...	...	...	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.30	...	0.30
29.03 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2552	...	...	...	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	5.10	...	5.10
	4552	...	...	...	18.30	...	18.30	18.30	...	18.30	43.17	...	43.17
	जोड़	...	...	...	*23.80*	...	*23.80*	*23.80*	...	*23.80*	*48.27*	...	*48.27*
29.04 विकास आयुक्त (एमएसएमई)	2552	...	...	...	71.50	...	71.50	59.00	...	59.00	57.65	...	57.65
29.05 खादी और ग्रामोद्योग	2552	...	...	...	54.00	...	54.00	26.50	...	26.50	33.72	...	33.72
	6552	...	...	...	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*57.00*	...	*57.00*	*29.50*	...	*29.50*	*33.72*	...	*33.72*
29.06 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2552	...	...	...	103.70	...	103.70	119.77	...	119.77	130.18	...	130.18
29.07 कॉयर उद्योग	2552	...	...	...	4.30	...	4.30	3.93	...	3.93	6.10	...	6.10
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजना /योजनाओं हेतु प्रावधान		...	...	...	*270.00*	...	*270.00*	*245.70*	...	*245.70*	*286.62*	...	*286.62*
30. सरकारी क्षेत्र में निवेश	4851	...	...	...	136.70	...	136.70	136.70	...	136.70	31.83	...	31.83
31. वास्तविक वसूलियां	2851	-7.54	-0.11	-7.65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***2264.50***	***288.17***	***2552.67***	***2700.00***	***301.29***	***3001.29***	***2457.00***	***302.25***	***2759.25***	***2835.00***	***320.66***	***3155.66***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	12851	...	321.34	321.34	155.00	550.00	705.00	155.00	395.00	550.00	75.00	341.00	416.00
जोड़		**...**	**321.34**	**321.34**	**155.00**	**550.00**	**705.00**	**155.00**	**395.00**	**550.00**	**75.00**	**341.00**	**416.00**

http://indiabudget.nic.in

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	12851	2264.50	321.34	2585.84	2430.00	550.00	2980.00	2211.30	395.00	2606.30	2548.38	341.00	2889.38
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	270.00	...	270.00	245.70	...	245.70	286.62	...	286.62
जोड़		**2264.50**	**321.34**	**2585.84**	**2700.00**	**550.00**	**3250.00**	**2457.00**	**395.00**	**2852.00**	**2835.00**	**341.00**	**3176.00**

1. **सचिवालय की आर्थिक सेवाएं:** इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी कार्यालय-व्यय आदि की व्यवस्था की जाती है।

2. **ऋण सहायता कार्यक्रम (ऋण और वित्त):** इस कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक ऋण गारंटी निधि स्कीम प्रचालन में है। इस स्कीम के माध्यम से गारन्टी कवर में संपार्श्विएक के बगैर मौजूदा लघु उद्यमों के साथ-साथ नए उद्यमों के लिए 100 लाख रू. तक का ऋण सदस्य उधारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा दी जाती है। इस कार्यक्रम के अधीन पोर्टफोलियो जोखिम निधि के दूसरे घटक में भारत सरकार सिडबी को सूक्ष्म, वित्तपोषण कार्यक्रम के लिए निधियां उपलब्ध कराती है जिसे एमएफआई/एनजीओ से ऋण राशि की अपेक्षित प्रतिभूति जमा के लिए प्रयोग किया जाता है।

3. **प्रौद्योगिकी सहायता संस्थानों और कार्यक्रमों की गुणवत्ता:** इस कार्यक्रम में ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम, आईएसओ 9000/14001 प्रतिपूर्ति स्कीम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम स्कीम (6 स्कीम) अर्थात लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम का कार्यान्वयन, सूलमउ क्षेत्र में आईसीटी टूलों का संवर्धन, सूलमउ के प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन सहायता, इनक्यूबेटरों के माध्यम से एसएमई को उद्यमिता एवं प्रवर्धन विकास हेतु सहायता, सूलमउ क्षेत्र के लिए डिजाइन क्लीनिक स्कीम, गुणवत्ता प्रवर्धन मानक और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा हेतु सशक्त बनाना शामिल है।

4. **अन्य स्कीमें:** अन्य स्कीमों में(I)अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन के रूप में भी जाना जाता है,(II)सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान और(III)प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन का उददेश्य भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और विदेशी उद्यमों के बीच भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, एवं निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिकी समिश्रण तथा/अथवा उन्नयन, उनके आधुनिकीकरण के विचार से संवर्धन करना है। सर्वेक्षण; अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं पर सर्वेक्षण/अध्ययन करने के लिए विख्यात स्वतंत्र एजेंसियो को अनुदान दिया जाता है। 'प्रशिक्षण संस्थान' को सहायता स्कीम के अधीन 3 राष्ट्रीय संस्थान अर्थात राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा, भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी और राष्ट्रीय सूलमउ संस्थान, हैदराबाद को देश के सभी भागों में संभावित उद्यमियों के प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाता है (इस स्कीम के अधीन सहायता मौजूदा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ नए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु भी उपलब्ध कराई जाती है)।

5. **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड:** मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हित संवर्धन और विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त और सहायता सेवाओं के अधीन एकीकृत सहायता सेवाएं उपलब्ध कराकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कार्य करता आ रहा है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, मंत्रालय की दो योजनागत स्कीमें नामतः ''विपणन सहायता स्कीम'' और ''निष्पादन और ऋण रेटिंग स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। विपणन सहायता स्कीम के अधीन सूक्ष्म, लघु उद्यमों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों के विपणन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। निष्पादन और ऋण रेटिंग स्कीम के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सूचीबद्ध प्रत्यायन ऋण रेटिंग एजेंसियों में से किसी एक एजेंसी द्वारा निष्पादन के साथ-साथ ऋण योग्यता हेतु स्वयं की रेटिंग कराने के लिए 75 प्रतिशत तक की सीमा में (अधिकतम 4000.00/- रु. तक) आर्थिक सहायता (सब्सिडी) उपलब्ध कराई जाती है।

6. **राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना:** राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत प्रथम पीढ़ी के उन संभावित उद्यमियों को पथ-प्रदर्शन सहायता उपलब्ध कराया जाता है जिन्होंने नए उद्यमों की स्थापना और प्रबंधन में विभिन्न प्रक्रियात्मक और कानूनी बाधाओं से निपटने तथा उद्यमों की स्थापना और उन्हें चलाने हेतु अपेक्षित विभिन्न औपचारिकताएं चुनिंदा प्रमुख एजेंसियों अर्थात 'उद्यमी मित्रों' के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं। "उद्यमी हैल्पलाईन" नामक सूलमउ के लिए एक कॉल सेंटर (टॉल फ्री नंबर 1800-180-6763) की स्थापना की गई है जो प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों और अन्य मौजूदा उद्यमियों को मंत्रालय की स्कीमों, प्रक्रियागत औपचारिकताओं तथा बैंक क्रेडिट आदि के संबंध में मार्ग दर्शन करेगी।

7. **विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.):** विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) का कार्यालय देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन एवं विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने, समन्वयन और मॉनीटरिंग के लिए एक केन्द्रीय निकाय है। विकास आयुक्त केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और इस क्षेत्र के विकास से संबंधित अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखता है। यह प्रावधान विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) मुख्यालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

8. **संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम:** विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय, विकास आयुक्त (सूलमउ) अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रबंधन विकास कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एमडीपी, ईडीपी) कौशल, कार्यशाला/प्रशिक्षण के लिए प्रावधान भी कवर किए जाते हैं। इस

कार्यक्रम में महिलाओं के लिए व्यापार सबद्ध उद्यमिता सहायता और विकास स्कीम भी कवर की जाती है जिसके अधीन सहायता गैर कृषि गतिविधियों में उनके उद्यमिता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

9. **सूलमउ क्लस्टर विकास कार्यक्रम और सूलमउ वृद्धि ध्रुव (अवसंरचना विकास):** सूलमउ क्लस्टर विकास कार्यक्रम विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय की महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक है। क्लस्टरों के व्यापक विकास के लिए विशेष जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अवसंरचना सहायता को भी जोड़ा गया है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों में बनाए गए उत्पादों को केन्द्रीय स्थानों पर प्रदर्शित करने और बेचने हेतु प्रदर्शनी केन्द्रों की स्थापना के लिए महिला उद्यमी के संघों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम में औजार कक्ष और तकनीकी संस्थान भी शामिल होते हैं। ये कोलकाता, लुधियाना, अहमदाबाद, औरंगाबाद, इन्दौर, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, जालन्धर, गुवाहाटी और नागपुर में स्थित है। इन्हें डिजाइन और औजार मोल्ड जिग एवं फिक्चर पूर्जे आदि उत्पादित करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को तकनीकी उन्नयन और अच्छी गुणवत्ता वाली टूलिंग हेतु इन्डो-जर्मन एवं इन्डो डैनिस के सहयोग से आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम अर्थात लघु औजार कक्ष शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में तकनीकी संस्थान भी शामिल हैं जो टूल और डाई निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण और परामर्श उपलब्ध कराते हैं। सूलमउ प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र जो रामनगर, फिरोजाबाद, मेरठ, आगरा, कन्नौज, मुम्बई तथा हैदराबाद में हैं। ये विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने तथा तकनीकी सेवा प्रदान करने, प्रौद्योगिकी विकास एवं उन्नयन करने, जनशक्ति का विकास और विशेष उत्पादन समूह जैसे फाउंड्री और फारजिंग, इलैक्ट्रानिक संगंध तथा सुरस, स्पोर्ट जूते, विद्युत मापन उपकरण और ग्लास में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्पाद विशेष केंद्र हैं। आगरा और चैन्नई स्थित सूलमउ के प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान) कार्य करने के लिए सूक्ष्म और लघु फुटवियर विनिर्माण इकाईयों के लिए फुटवियर उद्योग और सामान्य सुविधा सेवाओं में जनशक्ति विकसित करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं, फुटवियर उद्योग के लिए नई डिजाइन भी विकसित करते हैं।

10. **विपणन विकास सहायता कार्यक्रम (विपणन और प्राप्ति):** अंतर्राष्ट्रीय खुदरा बाजार में उत्पादों के सफलतापूर्वक विपणन के लिए बार-कोडिंग एक अनिवार्य आवश्यकता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादों की बार-कोडिंग करने को प्रोत्साहन देने के लिए बार-कोडिंग के एकबारगी पंजीकरण में लगने वाली लागत के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाती है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बार-कोडिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीएस-1 इंडिया द्वारा लगाए जाने वाले वार्षिक शुल्क (आवर्ती) का 75 प्रतिशत भाग भी प्रथम तीन वर्षों तक सब्सिडी के तौर पर प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। इस स्कीम में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उत्पाद पेटेंट प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्यात पैकेजिंग में भी आयोजित किए जाते हैं। इसमें एमएसई की उद्यमिता और प्रबंधन विकास के लिए सहायक सहायता हेतु बिक्रेता विकास कार्यक्रम, एमएसई के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा जागरूकता निर्माण भी शामिल हैं।

11. **डाटाबेस का उन्नयन (संस्थागत संरचना):** इस कार्यक्रम के अधीन इकाइयों की संख्या, रोजगार, वृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद हिस्सा/उत्पादन मूल्य, रूग्णता/समापन की सीमा एवं बढ़ा निर्यात, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में वार्षिक सर्वेक्षण और चार वर्षीय गणना के माध्यम से सांख्यिकी और सूचना संग्रहण भी एकत्रित की जाती हैं। इस स्कीम के अधीन महिलाओं के स्वामित्व वाले और/अथवा उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों से संबंधित आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे। इसमें जिला उद्योग केन्द्रों के कम्प्यूटरों की भी व्यवस्था है। राष्ट्रीय पुरस्कार (उद्यम एव गुणवत्ता), सूलमउ विकास संस्थान, लघु उद्यम सूचना और संसाधन नेटवर्क परियोजना, प्रचार और प्रदर्शनी, विज्ञापन और प्रचार तथा सूलमउ टीसी/टीएस इस कार्यक्रम के अन्य घटक हैं। सूलमउ परीक्षण केन्द्र और सूलमउ परीक्षण स्टेशन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराता है।

13. **कार्यालय आवास का निर्माण - ग्रामीण और लघु उद्योग:** यह क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यालय आवास के निर्माण की व्यवस्था करता है।

14. **सूलमउ पर विशेष स्कीम:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर कार्यबल की रिपोर्ट, इसके अध्यक्ष श्री टी.के.ए. नायर द्वारा जनवरी, 2010 में माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट सूलमउ के विकास और संवर्धन के लिए रास्ता (रोडमैप) उपलब्ध कराती है। इसने सूलमउ को राहत और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से समयबद्ध पद्धति में प्राप्ति के लिए हाल की की आर्थिक मंदी, संस्थागत परिवर्तनों और कार्यक्रम के ब्यौरे के फलस्वरूप तत्काल कार्रवाई करने के लिए कार्यसूची की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त देश में उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने और सूलमउ की वृद्धि के लिए उपयुक्त कानूनी और विनियामक ढ़ॉचा स्थापित करने के सुझाव दिए हैं। इस उप क्षेत्र को विशेष ऋण देने के लिए सूक्ष्म उद्यमों हेतु विशेष निधि की स्थापना करना, एक सार्वजनिक प्राप्ति नीति शुरू करना, जो नियत समय अवधि में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों से क्रय की वार्षिक मात्रा के कम से कम 20 प्रतिशत के लक्ष्य को अनिवार्य बनाती है एवं 5 वर्ष की अवधि में लगभग 5500 करोड़ रु. के अतिरिक्त सार्वजनिक खर्च का निर्धारण करना, मौजूदा अवसंरचना और संस्थागत स्थापना की कमियों को दूर करने में विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कार्यबल की कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं।

15. **ऋण और वित्त:** इसमें सूलमउ संबंधी 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यसमूह से निकलने वाली प्रस्तावित नई स्कीमें नामत: निधियों की निधि (इक्विटी वित्तपोषण), जोखिम पूंजी निधि, फैक्टरिंग सेवाओं के लिए सहायता और एसएमई विनिमय सहायता शामिल है।

16. **ऋण और वित्त:** इसमें सूलमउ संबंधी 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यसमूह से निकलने वाली प्रस्तावित नई स्कीमें नामत: सूलमउ के लिए विपणन आधार संरचना, क्लोस्टहरों में विपणन संगठन,सूलमउ के लिए वैश्विक फुटप्रिंट शामिल है।

17. **कौशल विकास:** इसमें सूलमउ संबंधी 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यसमूह से निकलने वाली प्रस्तावित नई स्कीमें नामत: वर्चुअल एसएमई विश्वविद्यालय शामिल है।

18. **संस्थागत संरचना और सुधार स्कीम:** इसमें सूलमउ संबंधी 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यसमूह से निकलने वाली प्रस्तावित नई स्कीमें नामत: ऑनलाइन फाइलिंग और रि-इंजीनियरिंग और विकास आयुक्त सूलमउ कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

19. **राष्ट्रीय नवाचार निधि:** यह नई स्कीम सूलमउ क्षेत्र के विकास के लिए नवाचार को सहायता प्रदान करने के लिए योजना में शुरू की जाएगी।

20.01. **खादी उद्योग:** खादी अनुदान के अधीन बजटीय आबंटन में खादी का विकास संवर्धन, खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं के पुनरूद्धार हेतु वित्तीय सहायता, पुराने चरखों एवं करघों का प्रतिस्थापन, खादी फैब्रिक को रैडीमेड़ गारमेंट्स में बदलने द्वारा मूल्यसंवर्धन के प्रोत्साहन की योजना, खादी की बिक्री पर रिबेट के प्रावधान, उत्पादन पर आधारित 'एमडीए', खादी

http://indiabudget.nic.in

संस्थाओं द्वारा 4 प्रतिशत की कम ब्याज दर पर लिए गए अवधि एवं कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सब्सिडी, नए उत्पादक का विकास, खादी उत्पादों की डिजाइनिंग एवं बेहतर पैकेजिंग के लिए 'प्रोदीप' स्कीम हेतु आवंटन, खादी कारीगरों का कल्याण एवं खादी कारीगर आदि सम्मिलित हैं।

20.02. **अन्य ग्रामोद्योग:** इस उपशीर्ष के अधीन बजटीय प्रावधान-तकनीकी उन्नयन के माध्यम से ग्रामोद्योग के विकास एवं संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदर्शनियों में भागीदारी को आसान बनाने के माध्यम से विकसित बाजार-पहुंच, बिक्री केन्द्रों का आधुनिकीकरण, नए उत्पादों के विकास, ग्रामोद्योगी उत्पादों की डिजाइनिंग एवं बेहतर पैकेजिंग हेतु 'प्रोदीप' स्कीम के लिए आवंटन पॉलिवस्त्र की खुदरा बिक्री पर रिबेट/पॉलिवस्त्र के उत्पादन पर आधारित 'एमडीए', केवीआईसी/केवीआईबी के वर्तमान प्रशिक्षण संस्थानों एवं इनसे संबद्ध संस्थानों का उन्नयन, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी) स्कीम के क्लस्टरों के विकास आदि के लिए प्रदान किया जाता है।

20.03. **खादी कारीगरों के लिए जनश्री बीमा योजना (स्वास्थ्य बीमा के नए घटक समेत):** केवीआईसी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ मिलकर 15 अगस्त, 2003 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना नामक एक समूह बीमा की शुरूआत की। यह स्कीम संपूर्ण देश में खादी संस्थानों से जुड़े हुए सभी कतिनों, बुनकरों, कताई पूर्व और बुनाई पूर्व कारीगरों, जो खादी और पॉलीवस्त्र गतिविधियों में संलग्न हैं, को शामिल करती है। इसमें 12वीं योजना में स्वास्थ्य बीमा के एक नए घटक को शमिल करने का प्रस्ताव है।

20.04. **केवीआई क्षेत्र में आधार संरचना और कौशलों का विकास:** यह स्कीम केवीआई क्षेत्र आदि की आधार संरचना, आईसीटी और कौशल संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईटी, मानव संसाधन विकास और सम्पदाओं तथा सेवाओं को एक जगह इक्ठ्ठा कर बनाने के लिए प्रस्तावित की गई है।

20.05. **ग्रामोद्योगों का संवर्धन और वर्तमान कमजोर खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों का विकास (कमजोर ग्रामोद्योग संस्थान के पुनरूद्धार के लिए नए घटक समेत):** यह ग्रामोद्योगों के 7 श्रेणियों के संवर्धन से संबंधित वर्तमान व्यय की स्कीमों का समुच्चय होगा जिसमें लगभग 500 कमजोर खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों के पुनरूद्धार पेकैज का एक अतिरिक्त घटक होगा। इसमें बीमा भी शामिल है।

20.06. **एक बारगी माफी/निपटान के द्वारा पुराने ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए स्कीम:** यह स्कीम, पूर्व-सीबीसी और सीबीसी ऋणों के संबंध में एक प्रस्तावित माफी/निपटान के लिए एक-बार अधित्याग/निपटान द्वारा पुराने ऋणों के माफी के लिए है, ताकि संस्थाएं, स्पष्ट लक्ष्य के साथ नए सिरे से अपना संचालन आरंभ कर सकें।

20.07. **बाजार संवर्धन (निर्यात संवर्धन समेत) तथा प्रचार (बाजार परिसर/प्लाजा के नए घटक समेत) तथा संशोधित एमडीए::** यह स्कीम मौजूदा विपणन और प्रचार गतिविधियों के लिए एक अम्ब्रैला स्कीम होगी। इसमें प्लाजा/परिसरों के लिए नए घटक का प्रस्ताव है।

एमडीए को 01.04.2010 से शुरू किया गया। इस स्कीम में खादी और पॉलीवस्त्र के उत्पादन के मूल्य पर 20 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता शामिल है, जिसे कारीगरों, उत्पादक संस्थाओं तथा बिक्री करने वाली संस्थाओं के मध्य हिस्सेदारी की जाएगी। यह एमडीए स्कीम विपणन संवर्धन और प्रचार के लिए इस आच्छादक स्कीम के एक भिन्न घटक के रूप में कार्यान्वित की जाएगी।

20.08. **खादी/ग्रामोद्योग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं एक विशिष्ट विरासतीय और हरित उत्पाद के रुप में खादी के संवर्धन हेतु योजना (एसपीओकेई) (नया घटक):** खादी/ग्रामोद्योग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की व्यवस्था काम में नीरसता कम करने के लिए, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों में सुधार करने के लिए परियोजनाओं की स्थापना के लिए की जाती है।

विशिष्ट विरासत और हरित उत्पाद के रूप में खादी के संवर्धन के लिए स्कीम जिसके दो अलग-अलग घटक हैं, के द्वारा केवीआई की वस्तुओं की यूएसपी बढ़ाने के लिए विरासत और हरित उत्पादों के रूप में इनका संपूर्ण रूप से संवर्धन करने की व्यवस्था की जाएगी तथा प्रोत्साहनों समेत आवश्यक पथ प्रदर्शन और अन्य सहायता उन संस्थानों/इकाइयों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

21.01. **ब्याज सब्सिडी (खादी):** इस स्कीम से आशय खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के संवर्धन हेतु खादी संस्थाओं को ऋण देने के लिए पूर्व में केवीआईसी को दिए गए सरकारी ऋणों पर हुए ब्याज के स्थान पर सब्सिडी देने से है। यह राशि बही अन्तरण (बुक ट्रांस्फर) होती है क्योंकि यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग की खादी ऋण ब्याज देयताओं के समक्ष समायोजित की जाती है।

21.02. **ब्याज सब्सिडी (VI)::** इस स्कीम से आशय खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के संवर्धन हेतु खादी संस्थाओं को ऋण देने के लिए पूर्व में केवीआईसी को दिए गए सरकारी ऋणों पर हुए ब्याज के स्थान पर सब्सिडी देने से है। यह राशि बही अन्तरण (बुक ट्रॉंसफर) होती है क्योंकि यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग की खादी ऋण ब्याज देयताओं के समक्ष समायोजित की जाती है।

22. **खादी और पॉलिवस्त्र के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी):** आईएसईसी स्कीम केवीआईसी/राज्य केवीआईबी के अन्तर्गत सभी पंजीकृत संस्थाओं के लिए लागू है। इस स्कीम के अंतर्गत खादी/पॉलिवस्त्र और ग्रामोद्योग (पुराना) कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियां प्रभारित ब्याज का मात्र 4 प्रतिशत वहन करती हैं और बैंको द्वारा प्रभारित ब्याज की वास्तविक दर और 4 प्रतिशत के बीच के अंतर को ब्याज सब्सिडी के रूप में सीधे वित्तीय बैंको को प्रतिपूरित किया जाता है।

23. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी):** जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान,वर्धा के पुनरुद्धार द्वारा वर्ष 2001 में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) की स्थापना की गई। एमगिरी का उद्देश्य, देश में संपोषणीय और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना और ग्रामीण उद्योग के उत्पादों के उन्नयन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करना ताकि वे स्थानीय और वैश्विक बाजारों में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकें।

http://indiabudget.nic.in

24. **पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति):** यह स्कीम 460 खादी क्लस्टर और 455 VI ग्रामोद्योग क्लस्टर का विकास करेगी। इसमें 15 विरासत क्लस्टर शामिल होंगे जिसे पायलट आधार पर लिया जाएगा और उसमें प्रति क्लस्टर 10 करोड़ रु. का उच्चतर आवंटन किया जाएगा। वर्तमान घटकों जैसे उपकरण को बदलना, सामान्य सुविधा केन्द्र, उत्पाद विकास सहायता, विपणन संवर्धन, क्षमता निर्माण और एक्सपोजर दौरे आदि को बनाए रखते हुए निम्नलिखित घटक शामिल किए जाएंगे- 1) खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, 2) वर्तमान कमजोर खादी संस्थानों की आधार संरचना का सुदृढ़ीकरण तथा विपणन आधार संरचना हेतु सहायता, 3) उत्पाद विकास डिजाइन इंटरवेंशन और पेकैजिंग, 4) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम, 5) ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र और खादी अनुदानों और ग्रामोद्योग अनुदानों से 11वीं योजना के दौरान केवीआईसी द्वारा चलाई जाने वाली तैयार वार्प इकाइयां, रेडी टू वियर मिशन जैसे अन्य लघु इंटरवेंशन।

25. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को ग्यारहंवी योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) को विलय करते हुए शुरू किया गया। इससे 11वीं योजना के अंत तक लगभग 37 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए लगभग 3.74 लाख सूक्ष्म-उद्यमों के सृजन की आशा है। पीएमईजीपी से प्राप्त प्रतिक्रियाएं बड़ी प्रोत्साहनीय हैं। इस स्कीम में युवाओं के मध्य, विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारों, को स्वयं उद्यमी बनने में और नई आशाएं सृजित की हैं। बढ़ी हुई परियोजना लागत सीमा (लेकिन बड़ी परियोजनाओं के लिए घटे हुए सब्सिडी) के साथ विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों के सृजन हेतु इस स्कीम के उन्नयन का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्तावित किया गया है कि बारहवी योजना के दौरान 4 लाख सूक्ष्म उद्यमों के सृजन के माध्यम से 32 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए।

26. **खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (एडीबी सहायता):** खादी के संपोषण में वृद्धि, कारीगर कल्याण में वृद्धि, सरकारी अनुदानों पर कम निर्भरता के साथ कत्तिनों और बुनकरों के लिए आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ परंपरागत खादी क्षेत्र के पुनरुद्धार और सुधार के लिए केवीआईसी, एशियाई विकास बैंक, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के परामर्श से सूलमउ मंत्रलय द्वारा एक खादी सुधार और विकास कार्यक्रम तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम को दो चरणों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। 300 संस्थाओं (जिसके समक्ष ग्यारहवी योजना के दौरान 50 संस्थाओं को ले लिया गया है, इसके अतिरिक्त प्रथम चरण की शेष 250 संस्थाओं को बारहवीं योजना में लिया जाएगा) को कवर करने के लिए प्रथम चरण जारी है, और अन्य 300 संस्थाओं को केआरडीपी के दूसरे चरण में लिया जाएगा।

27. **खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण:** केवीआईसी के कर्मचारियों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

28.01. **कॉपर उद्योग:** (i) योजना (सामान्य) - इस में कौशल विकास, गुणवत्ता सुधार और महिला कॉयर योजना, उत्पादन आधार सरंचना का विकास, निर्यात और घरेलू बाजार संवर्धन, व्यापार और उद्योग संबंधी कार्यात्मक सहायता सेवाएं तथा 12वीं योजना में कॉयर श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा के नये घटक समेत बीमा उपलब्ध कराना शामिल है।

(ii) योजना (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) यह स्कीम फाइबर निकास में प्रक्रियागत सुधार, प्रदूषण मुक्त रेटिंग प्रक्रिया, उत्पाद विकास/विविधीकरण, नई मशीनरी का विकास आदि पर परियोजना संचालित करने के उद्देश्य की ओर लक्षित है। क्षेत्रीय स्तर पर वाणिज्यिक अनुप्रयोग हेतु अनुसंधान प्रयासों का विस्तार तथा निर्यातकों/उद्यमियों को प्रशिक्षण और सेवा सुविधा पर विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र हैं।

28.02. **कॉयर उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन:** इस स्कीम का उद्देश्य कत्तिनों और अतिलघु घरेलू क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर कयर उद्योग का विकास करना है। इस स्कीम के अंतर्गत, वर्कशेडों के निर्माण हेतु अप्रचलित रैटों/करघों के प्रतिस्थापन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि उत्पादन और श्रमिकों की आय को बढ़ाया जा सके।

28.03. **परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति कॉयर):** इस स्कीम के लिए केवीआईसी और कॉयर बोर्ड नोडल एजेंसियां हैं जो कि क्लस्टर विकास प्रणाली के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के केंद्रित पुनरुद्धार हेतु व्यापक प्रयास है।

29. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/ स्कीमों हेतु प्रावधान:** पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु स्कीम-वार प्रावधान रखे गए हैं।

30. **लोक उद्यमों में निवेश:** प्रधानमंत्री कार्यबल की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. में अतिरिक्त इक्विटी निवेश का प्रावधान है। यह प्रावधान अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए भी शामिल किया जाता है।